UPME050010442026

न्यायालय सिविल जज (सी०डि०), मेरठ।

विविध वाद संख्या 260/2026

काम्बले विवर्स बनाम फजलूरहमान

दिनांक– 27.05.2026

आज यह विविध वाद पेश हुआ। प्रार्थी/वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 80 (2) सी०पी०सी इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत वाद वादी ने स्थाई निषेधाज्ञा आज्ञप्ति इस आशय से योजित किया है कि प्रतिवादीगण वादी के खसरा संख्या–10 क, क्षेत्रफल 0.5819 हैक्टेयर बंजन, खसरा सं0–10 ख, क्षेत्रफल 1.4225 हैक्टेयर, आबादी, खसरा सं0–10 ग कल्लर स्थित कस्बा दौराला मेरठ में बने भवनों को ना तो ध्वस्त करे और ना ही बेदखल करे। मामला आवश्यक है तथा यदि प्रतिवादीगण को वादी के द्वारा निर्धारित सूचना पत्र अन्तर्गत धारा 80 सी०पी०सी० देकर दो माह की अवधि बीतने के पश्चात वाद योजित किया जाता है तो प्रतिवादीगण वादी के कब्जे वाले भवनों को ध्वस्त कर देगे तथा वादी की वाद योजित करने की मंशा ही समाप्त हो जायेगी। प्रतिवादीगण ने वादी को दिनांक 10.10.2025 को कब्जा हटवाने के सम्बन्ध में नोटिस जारी किये गये है तथा प्रतिवादीगण वादी के भवनों के गिराने के लिये प्रयासरत है। यदि धारा–80 सी०पी०सी० का सूचना पत्र प्रतिवादीगणों को दिया जायेगा तो दो माह तक प्रतिवाद पत्र के बाद ही वाद योजित किया जायेगा तथा वादी का वाद योजित करने की मंशा ही समाप्त हो जायेगी।

प्रतिवादी सं० 1 द्वारा उपरोक्त प्रार्थना पत्र पर आपत्ति इस आशय की दी गयी है कि वादी के द्वारा पत्रावली पर वाद की तीव्र महत्ता का कोई साक्ष्य दाखिल नही किया है वादी के द्वारा प्रार्थना–पत्र गलत आधारो पर दिया गया हैं। जिसके आधार पर वादी को धारा 80 सी०पी०सी० का कोई नोटिस प्रतिवादी को नही दिया गया है वादी के द्वारा धारा 80 सी०पी०सी० का अनुपालन नही किया गया है जिस कारण वादी धारा 80 (2) सी०पी०सी० का लाभ पाने की अधिकारी नहीं हैं। वादी के द्वारा प्रार्थना–पत्र व संलग्न शपथ–पत्र में भवन तोड़ने या इस प्रकार की धमकी देने वाले किसी व्यक्ति या अधिकारी कर्मचारी का नाम नही दिया हैं। जिस कारण वादी को वाद योजित करने की कोई तीव्र आवश्यकता नही हुई हैं। वादी के द्वारा वाद–पत्र में वर्णित सम्पत्ति के स्वामित्व से सम्बन्धित कोई प्रपत्र दाखिल नहीं किया गया है जिस कारण वादी को वाद दाखिल करने का काई अधिकार नहीं है। अतः उक्त आधारो पर प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि विपक्षी उ०प्र० राज्य है। वादी के प्रार्थना पत्र के कथनो से वाद तात्कालिक प्रकृति का प्रतीत होता है। अतः वाद के तथ्य एवं परिस्थितियो को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित मे प्रार्थी/वादी का प्रार्थना पत्र 80 (2) सी०पी०सी स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थना पत्र 3 ग स्वीकार किया जाता है। मुंसरिम नियमानुसार वाद दर्ज करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करें। तदोपरांत पत्रावली दिनांक 29.05.2026 को पेश हो।

(श्रीमती प्रज्ञा सिंह ॥)
सिविल जज (सी०डि०)
मेरठ।
जे.ओ.कोड–यू०पी० 1949